9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

पत्रांक : सचिव/उनिलि/सीपीएफ ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006

कार्यालय ज्ञाप

निगम के द्वारा समय समय पर बढ़ी हुई मंहगाई भत्तों की अवशेष के भुगतानों को कन्ट्रब्यूटरी प्राविडेण्ड ट्रस्ट से आवरित कार्मिकों के खातों में जमा किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश न होने के कारण अलग अलग परियोजनाओं द्वारा अलग अलग कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में निहित आदेश संख्या : 1120 - काविनी/राविप-29/93-94पी/87 दिनांक 19-08-1993 एवं सीपीएफ नियमों को संज्ञान में लेते हुए निम्नवत् आदेश पारित किए जाते हैं :-

"एतद्द्वारा आदेश किए जाते हैं कि निगम स्तर से बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ड फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सीपीएफ खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य धनराशि नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सीपीएफ मद में दिया जायेगा।"

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

अध्यक्ष
उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- समस्त मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा एवं पनकी।
3- महा प्रबन्धक (वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, श0 भ0 वि0, लखनऊ।
4- उप महा प्रबन्धक (वित्त)/ उप मुख्य लेखा अधिकारी, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी।
5- अधिशासी अभियन्ता, एचओपीडी ओबरा/ओबरा टाउनशिप, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
6- महा प्रबन्धक, (मानव संसाधन), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, श0 भ0 वि0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भविष्य में कार्मिकों के मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित जो भी आदेश जारी किए जायें, उसमें सीपीएफ से आवरित कार्मिकों से सम्बन्धित उपरोक्त आदेश इंगित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, श0 भ0 वि0, लखनऊ।

2/12/06
(एच0 के0 अग्रवाल)
सचिव
सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट

2/12

Ravi/HQ/

अ0 प्र0 सिन्हा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या: 1120-कार्मिनी/रा0वि0प0-29/93-94मी/87 दिनांक: 19 अगस्त, 1993.

समस्त मुख्य अभियंता/महा प्रबन्धक,
समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।

कार्मिक एवं
वित्त नीति
अनुभाग-29

विषय:- ई0 पी0 एफ0/सी0 पी0 एफ0 के सदस्यों को महंगाई भत्ते के अवशेष धनराशि का भुगतान।

==========

महोदय,

परिषद समय-समय पर अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुयी दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत करते हैं। महंगाई भत्ता स्वीकृति के आदेशों में अवशेष धनराशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा किये जाने का प्राविधान किया जाता है। इसी क्रम में कतिपय क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जिज्ञासा की है कि यदि कोई कर्मचारी ई0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 का सदस्य है तो उनको उक्त अवशेष का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि ई0पी0एफ0 अधिनियम की धारा-6 के अनुसार परिषद को मात्र 8.33 प्रतिशत का अंशदान देना है जबकि कर्मचारी का इससे अधिक भी अंशदान जमा किया जा सकता है। अस्तु, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को देय अवशेष धनराशि भी उनके खातों में जमा की जायेगी। मुझे यह भी पुन: स्पष्ट करना है कि जो कर्मचारी किसी भी भविष्य निधि योजना के सदस्य नहीं हैं उन्हें देय अवशेष का भुगतान नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में किया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वो नकद दी जायेगी।

भवदीय,

(ओ0 पी0 सिन्हा)
संयुक्त सचिव

सं0 1120-कार्मिनी(1)/रा0वि0प0-29/93-94मी/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक(लेखा), उ0 प्र0 रा0वि0प0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
3- पुलिस महा निरीक्षक (सतर्कता), उ0 प्र0 रा0वि0प0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0रा0वि0प0, डाली बाग, लखनऊ।
5- वरिष्ठ उप-महा लेखाकार, उ0प्र0रा0वि0प0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6- समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
7- परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग/अधिकारी।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 सिन्हा)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
4-B,GokhleMarg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
4–बी, गोखले मार्ग, लखनऊ – 226 001

UPRVUNL

पत्रांक : सचिव/उनिलि/यूपीआरवीयूएनएल सीपीएफ ट्रस्ट/974 दिनांक : सितम्बर 09,.2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल ने अपनी 14वीं बैठक जो दिनांक 30.08.2005 को सम्पन्न हुई, में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 सीपीएफ ट्रस्ट में निम्न संशोधन पारित किया गया :-

"Resolved that when the post of Chairman and Managing Director of the Corporation is held by a singly person, in that case the Chairman and Managing Director of the Corporation shall be the Chairman of the Trust and where the post of Chairman and Managing Director are held separately by two officers then in that case the whole time Managing Director of the Corporation shall be the Chairman of the Trust.

Accordingly where ever the word Chairman exists in the UPRVUNL CPF TRUST RULES AND ALSO THE TRUST DEED the meaning of the same, shall be taken in the above context."

Further RESOLVED THAT "The Trustees and Secretary of the UPRVUNL CPF TRUST are hereby authorized to execute the UPRVUNL CPF TRUST DEED."

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3- निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4- मुख्य महा प्रबन्धक, (वित्त) उ0 प्र0 रा0 वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5- मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, समस्त तापीय परियोजनायें, उ0 प्र0 रा0 वि0 उत्पादन निगम लि0।
6- उप महाप्रबन्धक, (लेखा/उप मुख्य लेखाधिकारी-सभी तापीय परियोजनायें), उ0प्र0रा0वि0उ0 निगम लि0।
7- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मुख्यालय, उ0 प्र0 रा0 वि0 उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

9/9/05

(एच0 के0 अग्रवाल)
सचिव
यूपीआरवीयूएनएल सीपीएफ ट्रस्ट

Regd. Office : 4 – B, GOKHLE MARG, LUCKNOW – 226001
Phone (0522) 2207579, 2207580, 22?7375, 2207193, fax (0522) 2207579

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
4. बी, गोखले मार्ग, लखनऊ 226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut
Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

पत्रांक : सचिव/ उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/939

दिनांक : मई 7, २००४

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या :सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/७१५, दिनांक ०२-०४-२००४ के बिन्दु २ पर दिए गए प्रस्तर को पूर्व में दिए गए प्रस्तर के स्थान पर निम्नवत् यथा-संशोधित मानते हुए पढ़ा जाये :

(२) " कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४, दिनांक ०१-०४-२००४ से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित किए गए हैं कि यदि कोई कार्मिक दिनांक १४-०१-२००० के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से तथा दिनांक ०१-०४-२००४ के पूर्व की अवधि का नियमानुसार अपना अंशदान जमा करता है तो उसी सीमा तक निगम द्वारा भी नियोक्ता अंशदान जमा किया जायेगा। यह सुविधा १२ माह की अवधि अर्थात ३१.०३.२००५ तक ही अनुमन्य की जाती है। इस अवधि के अन्त पर यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। "

उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप संख्या : सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/७१५, दिनांक : ०२-०४-२००४ के अन्य बिन्दु एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अध्यक्ष
उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० सीपीएफ ट्रस्ट

पत्रांक : सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ०ट्रस्ट तद्दिनांक :

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(१) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(२) निदेशक (तकनीकी), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(३) निदेशक (वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(४) मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज तथा पनकी को उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
(५) श्री के० सी० पाण्डे, उप मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ४-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ, श्री राकेश सक्सेना, उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा 'बी',श्री आर० सी० अग्रवाल, उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा 'ए',श्री महेश चन्द्र पाल, उप मुख्य लेखाधिकारी, पारीछा, श्री डी० के० अग्रवाल उप मुख्य लेखाधिकारी, हरदुआगंज एवं श्री राकेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, पनकी को उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7/5/04
(एच० के० अग्रवाल)
सचिव
उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० सीपीएफ ट्रस्ट

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
4. बी, गोखले मार्ग, लखनऊ 226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

पत्रांक : अध्यक्ष-सी०पी०एफ० ट्रस्ट/उनिलि/577

दिनांक : अप्रैल/12, २००४

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की १०५वीं बैठक जो दिनांक १७-०३-२००४ को सम्पन्न हुई, में अनुमोदित किये गए **'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स - २००४'** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी० पी० एफ० ट्रस्ट का केन्द्रीय खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जापलिंग रोड, लखनऊ स्थित शाखा में खोला जायेगा और उसके संचालन हेतु श्री एच० के० अग्रवाल, सचिव, ट्रस्ट एवं श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उप महा प्रबन्धक को संयुक्त रूप से अधिकृत किया जाता है।

अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन
निगम लि०, सी० पी० एफ० ट्रस्ट

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, सी० पी० एफ० ट्रस्ट, लखनऊ।
२- निदेशक (तकनीकी), (ट्रस्टी), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
३- निदेशक (वित्त), (ट्रस्टी), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
४- समस्त मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ...
५- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,४-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
६- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उप महा प्रबन्धक, सम्बद्ध निदेशक (वित्त), उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
७- श्री एच० के० अग्रवाल, सचिव, ट्रस्ट, उ० प्र० रा० वि० उ० निगम लि०, ४-बी,गोखले मार्ग, लखनऊ।

12/5/04
(एच० के० अग्रवाल)
सचिव
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन
निगम लि०, सी० पी० एफ० ट्रस्ट

दूरभाष : 2207579, 2207580, 2207362, 2207193, फैक्स : 0522-2207579

...उत्पादन निगम लि0
..., लखनऊ-226001

UPRVUN

Uttar Pradesh Rajya Vidyut
Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

निलि/सीपीएफ ट्रस्ट/1383 दिनांक 07-07-2004

मुख्य महा प्रबन्धक,
अनपरा तापीय परियोजना,
अनपरा, सोनभद्र ।

महोदय,

कृपया अपने पूर्व अधिकारी के पत्र संख्या 1230/मु0म0प्र0/अधि0/अताप/जी3, दिनांक 15-05-2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उन्होंने निगम कार्मिकों पर लागू सीपीएफ नियमावली के सन्दर्भ में कतिपय स्पष्टीकरण चाहे थे। सम्बन्धित स्पष्टीकरण बिन्दुवार निम्नवत् हैं :-

§1§ सीपीएफ की कटौती नियमित नियुक्त कार्मिक की नियुक्ति की तिथि से की जायेगी और यदि कोई प्रशिक्षु नियुक्त किया गया है तो उसके प्रकरण में उसके नियमितीकरण की तिथि से कटौती की जायेगी।

§2§ दिनांक 14-01-00 के उपरान्त नियुक्त सभी कार्मिक सीपीएफ से आवरित होंगे तथा उन पर पूर्ववर्ती परिषद की जीपीएफ एवं पेंशन नियम लागू नहीं होंगे। जिन प्रकरणों में जीपीएफ की कटौती की जा रही है उन सबको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सीपीएफ नियमों से आवरित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

§3§ दिनांक 01-04-2004 के पूर्व की अवधि का अंशदान कार्मिकों से चेक के माध्यम से ही लिया जायेगा।

§4§ बिन्दु 2 [एवं 3] में दर्शायी गए प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

§5§ इसमें भी बिन्दु 2 में दर्शायी गयी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

§6§ यहाँ स्पष्ट करना है कि जैसे माह जुलाई का वेतन सभी कार्मिकों को माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में बाँटा जाता है उसी तारतम्य में माह जुलाई के वेतन से की गयी सीपीएफ कटौतियों की धनराशि एक मुश्त सम्बन्धित सूचियों सहित माह अगस्त के सात तारीख तक सीपीएफ ट्रस्ट मुख्यालय, लखनऊ में भेजा जाना अनिवार्य है।

§7§ बिन्दु 7 में उठायी गयी बातें नियमावली में प्राविधानित हैं।

§8§ सीपीएफ ट्रस्ट हेतु बनवाये गए ड्राफ्ट परियोजना को वहन करना होगा।

क्रमशः अगले पृष्ठ पर ....

दूरभाष :- 2207046, 2207193, 2207580, फैक्स : 0522-2207579

UPRVUN
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

दिनांक

कृपया उपरोक्त दिए गए स्पष्टीकरण के तारतम्य में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

7/7/04
(एच0 के0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दूरभाष :- 2207048, 2207193, 2207580, फैक्स : 0522-2207579

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
4-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ -226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

पत्रांक : सचिव/ उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ 715

दिनांक : 2-6-२००४

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की १०५वीं बैठक जो दिनांक १७-०३-२००४ को सम्पन्न हुई, में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में ' **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स२००४** ' का अनुमोदन प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक ०१-०४-२००४ से लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है (सम्बन्धित रूल्स की प्रति संलग्न है)। इस सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् आदेश जारी किये जाते हैं :-

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ उन सभी कार्मिकों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में दिनांक १४-०१-२००० को अथवा उसके उपरान्त की गयी हो। (यह आदेश उन कार्मिकों पर भी लागू होगा जो पूर्ववर्ती परिषद के विघटन के पूर्व उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में नियोजित थे, परन्तु उनकी इस मद में कोई कटौती नहीं हो रही थी)।

(२) कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ दिनांक ०१-०४-२००४ से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित किए गए हैं कि यदि कोई कार्मिक इस तिथि के पूर्व का अपना अंशदान देने को इच्छुक होगा तो उसी सीमा तक निगम द्वारा भी नियोक्ता अंशदान दिया जायेगा। यह सुविधा कार्यालय आदेश जारी होने के दो माह के अन्दर लाभ उठाने हेतु अनुमन्य होगी। इस अवधि के अन्त पर यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(३) दिनांक १४-०१-२००० के उपरान्त निगम नियोजित कार्मिकों, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ से आवरित हैं, का कर्मचारी के अंशदान के रूप में उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का १० प्रतिशत तथा नियोक्ता के अंशदान के रूप में मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का १० प्रतिशत अंशदान निगम की ओर से नियमित रूप से जमा कराया जायेगा ।

क्रमशः पेज २ पर ....

दूरभाष :- 2207579, 2207580, 2207362, 2207193, फैक्स :- 0522-2207579

C.S.

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
4-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ -226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

(४) उपरोक्त **बिन्दु-३** में दर्शायी गई धनराशि प्रत्येक परियोजना के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के ७ तारीख तक (**विलम्वतम्**) **ड्राफ्ट के रूप में जो** 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी० पी० एफ० ट्रस्ट', के नाम होगा, ४-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ को भेजा जाना ससमय सुनिश्चित किया जायेगा।

(५) उपरोक्त बिन्दु-४ में दर्शायी गयी धनराशि भेजते समय ड्राफ्ट के साथ पूर्ण विवरण संलग्न किया जायेगा जिसमें कार्मिक का नाम, उसे पिता/पति का नाम, कार्मिक का अंशदान, निगम का अंशदान एवं कुल योग अलग-अलग दर्शाते हुए संयुक्त विवरण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(६) सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/ आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड **रूल्स २००४** की प्रति प्राप्त होते ही समस्त १४-०१-२००० के बाद नियुक्त कार्मिकों से **फार्म -'A' फार्म-'B'** तथा **फार्म नं० ४०-A** भरवा कर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट, ४-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि तदनुसार समस्त कार्मिकों को सी०पी०एफ० खाता संख्या ट्रस्ट के स्तर से आवन्टित किये जा सकें।

(७) जब उपरोक्त बिन्दु-६ में दिये गए सी०पी०एफ० खाता ट्रस्ट के स्तर से आवन्टित कर दिये जायेगें तब उपरोक्त बिन्दु-५ में जो संयुक्त विवरण पत्र परियोजना स्तर से मासिक रूप में ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा उसमें सम्बन्धित कार्मिक के नाम के सामने सी० पी० एफ० खाता संख्या अनिवार्य रूप से दर्शाया जायेगा। फार्म नं० ४०-A के अन्त में जो प्रमाण पत्र अंकित है वह सम्बन्धित कार्मिक के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(८) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सी० पी० एफ० ट्रस्ट का खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जापलिंग रोड, लखनऊ में खोला जायेगा।

क्रमशः पेज ३ पर ....

दूरभाष :- 2207579, 2207580, 2207362, 2207193, फैक्स :- 0522-2207579

C.S.

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
4-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ -226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut
Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
4-B, Gokhale Marg, Lucknow-226001

(६) सभी परियोजना प्रबन्धक/ आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उन्हें प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ की जानकारी सभी निगम नियोजित कार्मिकों को जो इन रूल्स से आवरित है, दिया जाना अनिवार्य होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/सी०पी०एफ०ट्रस्ट तद्दिनांक :

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(१) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(२) निदेशक (तकनीकी), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(३) निदेशक (वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(४) मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज तथा पनकी को उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
(५) श्री के० सी० पाण्डे, उप मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ४-बी, गोखले मार्ग, लखनऊ, श्री राकेश सक्सेना, उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा 'बी',श्री आर० सी० अग्रवाल, उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा 'ए',श्री महेश चन्द्र पाल, उप मुख्य लेखाधिकारी, पारीछा, श्री डी० के० अग्रवाल उप मुख्य लेखाधिकारी, हरदुआगंज एवं श्री राकेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, पनकी को उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स २००४ की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(६) मुख्य महा प्रबन्धक, (पीपीएमएम)/ मुख्य महा प्रबन्धक, (वित्त)/ महा प्रबन्धक, (टॉम)/महा प्रबन्धक, (जानपद)/महा प्रबन्धक, (आर एण्ड एम)/महा प्रबन्धक, (सतर्कता)/महा प्रबन्धक, (लेखा एवं ऑडिट), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(एच० के० अग्रवाल)
सचिव
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन

दूरभाष :- 2207579, 2207580, 2207362, 2207193, फैक्स :- 0522-2207579 C.S.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 105वीं बैठक जो दिनांक 17–03–2004 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या 7 में लिए गए निर्णय का उद्धरण :

एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
7. निगम के नियोजित कार्मिकों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 2003 एवं उससे सम्बन्धित ट्रस्ट डीड का अनुमोदन ।	निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :– 1– प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 2003 का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन्हें रूल्स 2004 नामित करने का अनुमोदन प्रदान किया । 2– प्रस्तुत ट्रस्ट डीड जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट ट्रस्ट स्थापित किये जाने का प्राविधान है, का अनुमोदन प्रदान करते हुए ट्रस्ट डीड के पंजीकरण की कार्यवाही करने हेतु निगम के कम्पनी सचिव श्री एच0 के0 अग्रवाल को अधिकृत किया गया एवं आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट डीड में संशोधन करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया। 3– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 2004 को दिनांक 01–04–2004 से लागू करने का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया कि यदि इस तिथि से पूर्व निगम में नियोजित कार्मिक अपनी स्वेच्छा से पूर्वगामी तिथि से अपना अंश जमा करना चाहता है तो उसी सीमा तक निगम भी अपना नियोक्ता अंश का भुगतान कर देगा। 4– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 2004 का अनुमोदन आयकर अधिनियम 1991 सपठित आयकर रूल्स 1962 के अन्तर्गत आयकर आयुक्त कार्यालय से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने के लिए कम्पनी सचिव श्री एच0 के0 अग्रवाल को अधिकृत किया गया। 5– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स 2004 के कियान्वयन हेतु केन्द्रीय रूप से निगम मुख्यालय पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने हेतु निगम के कम्पनी सचिव श्री एच0 के0 अग्रवाल को जो इस ट्रस्ट के सचिव भी हैं, को अधिकृत किया गया। 6– ट्रस्ट डीड पर कॉमन सील लगाये जाने हेतु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल 128 के प्राविधानों के अनुसार कॉमन सील निदेशक वित्त एवं कम्पनी सचिव की उपस्थिति में लगाई जायेगी एवं इस हेतु वे अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

सत्य प्रति प्रमाणित

ह0
(अभय सरन कपूर)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

पत्रांक : सचिव/उनिलि/सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट/755 दिनांक : अगस्त, 02, 2008

मुख्य महाप्रबन्धक/उपमहा प्रबन्धक(वित्त)/उपमुख्य लेखाअधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (एच0ओ0पी0डी0)
अनपरा 'ए' एवं 'बी'/ओबरा 'ए', 'बी' एवं एच0ओ0पी0डी0/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज
तापीय परियोजनायें एवं कैश प्रबन्धन इकाई (मुख्यालय)
सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़/लखनऊ

विषय :– अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित अग्रिमों/निष्कासनों एवं माँग पत्र सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञापों/प्रारूपों का निर्गतन ।

महोदय,

विषयांकित अंशदायी भविष्य निधि के क्रियाकलापों में पूरे निगम स्तर पर समरूपता रखने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रारूप निधारित किये गये है। दिनांक 01–04–2004 से लागू अंशदायी भविष्य निधि नियमावली–2004 के नियम– 39 में वर्णित उद्देश्यों हेतु **अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र** कार्मिक द्वारा प्रारूप–1 पर जिसके अधीनस्थ कार्मिक के अधिष्ठान का रख–रखाव किया जाता है के इकाई प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा एवं सम्बन्धित इकाई प्रमुख द्वारा संस्तुति उपरान्त स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालय–ज्ञाप प्रारूप 2 पर जारी किया जाएगा। जिसकी एक प्रति सम्बन्धित इकाई के आहरण वितरण अधिकारी को अग्रेतर कार्यावाही हेतु पृष्ठांकित की जायेगी। इसी प्रकार अग्रेतर निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर अंशदायी भविष्य निधि से अंतिम निष्कासन नियम सं0 42 में वर्णित उद्देश्यों हेतु नियम सं0 43 में वर्णित शर्तों के अधीन निष्कासन के लिए कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप–3 पर इकाई प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी स्वीकृति सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप प्रारूप–4 पर सम्बन्धित इकाई प्रमुख द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति इकाई के आहरण एवं वितरण इकाई को अग्रेतर कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की जाएगी (सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है) । **यहाँ विशेष ध्यान रखा जाना है कि अंग्रिम/निष्कासन केवल अभिदाता अंश से ही स्वीकृत किया जा सकता है, नियोजक अंश से नहीं।**

अंशदायी भविष्य निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों/अन्तिम निष्कासनों के धन निर्गमन हेतु माँग–पत्र संलग्न प्रारूप 5 पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा जिसके सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को धन अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित किया जाएगा। प्रारूप 5 में सूचना भेजते समय सम्बन्धित स्वीकृति आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सम्बन्धित इकाई प्रमुखों जिनके अधीनस्थ अभिदाता के अधिष्ठान का रख–रखाव होता है, अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होगें।

कृपया उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु इसकी प्रतियॉं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0के0 अग्रवाल)
सचिव (सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट)

संलग्नक : यथा उपरोक्त

30 Ravi/HQ PAD NC-1

सी0 पी0 एफ0 प्रारूप–1

अशंदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ३९ के अन्तर्गत अस्थाई अग्रिम के लिए प्रार्थना–पत्र

(1) अभिदाता का नाम :

(2) खाता संख्या : UPRVUNL/CPF No.-

(3) पद का नाम :

(4) वेतनमान :

(5) प्रार्थना–पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खातें में जमा अभिदाता के अंश की धनराशि का विवरण :–

(क). वर्ष .लेखा पर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0..

(ख) माह से माह तक अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0..

(ग) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड) द्वारा जमा धनराशि रू0 ....

(घ) कुल जमा धनराशि (क + ख + ग) रू0 ....

(च) निष्कासित धनराशि का विवरण :–

(1) अन्तिम निष्कासन : :माह / वर्ष से माह / वर्ष तक रू0 ....

(2) अस्थायी अग्रिम : :माह / वर्ष से माह / वर्ष तक रू0 ....

(3) कुल निष्कासन : (1 + 2) रू0 ....

(छ) शुद्व जमा धनराशि :– : (घ – च 3) रू0 ....

(6) पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हो, तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन रू0..

....

(7) अब मागें जा रहे अग्रिम की धनराशि : रू0 ....

(8) (क) इस अग्रिम का प्रयोजन : ....

(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ : ....

(9) समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6 + 7) रू0 ....

तथा जितनी मासिक किश्तों में अपेक्षित अग्रिम की अदायगी की जानी है माह............रू0..(प्रति किश्त)

(10) अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना–पत्र का औचित्य सिद्व हो सके :..

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : / /200

नाम : ....

पदनाम : ....

अनुभाग / कार्यालय : ....

सी० पी० एफ० प्रारूप–2

कार्यालय का नाम व पता

संख्या :................................/ / दिनांक

कार्यालय–ज्ञाप

(अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ३९ के अन्तर्गत जारी स्वीकृति आदेश)

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... को उनके अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या UPRVUNL/CPF/- .... में उपलब्ध अभिदाता अंश से .... प्रयोजन के लिये व्यय की व्यवस्था करने हेतु रूपये ....(शब्दों में) .... के अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. अग्रिम स्वीकृत रूपये ....(शब्दों में) रूपया.. की दर से .... मासिक किश्तों में वसूल किया जायेगा जिसकी पहली किश्त (माह) .... के वेतन जो (माह) .... में देय होगा, से प्रारम्भ होगी ।

3. कार्यालय–ज्ञाप संख्या ....दिनांक ....के द्वारा पूर्व में स्वीकृत तथा भुगतान किए गए रूपये ....के अग्रिम में से रूपये............................. की वसूली अभी तक बाकी है । यह धनराशि और अब स्वीकृत किये गये अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग रूपये ....(शब्दों में) रूपया.. होता है, की वसूली रूपये ....की मासिक किश्तों में तथा शेष रूपये .... की .... कुल किश्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किश्त (माह) .... के वेतन जो माह .... में देय होगा, से प्रारम्भ होगी ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी

संख्या : / / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, (सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट) कमरा नं0 928, 9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप से सम्बन्धित धनराशि रू0 ....सम्बन्धित इकाई... को निर्गत कराने का कष्ट करें ।
2. श्री .... को उनका ध्यान समय–समय पर जारी आदेशों की ओर आकृष्ट कराते हुए जिनके अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है, जिसके लिये यह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्रदान करने के 06 महीने के भीतर इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था ।
3. अधिष्ठान
4. व्यक्तिगत पत्रावली ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी

सी0 पी0 एफ0 प्रारूप – 3

अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ४२ एवं ४३ के अन्तर्गत अंतिम निष्कासन के लिये आवेदन-पत्र

कार्यालय का नाम :..

1. अभिदाता का नाम :..

2. खाता संख्या :UPRVUNL/CPF No. - ....

3. पदनाम :..

4. वेतन :..

5. सेवा में आने की तिथि :............................ अधिवार्षिकी (Retirement) की तिथि ....

6. प्रार्थना–पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाता में जमा अभिदाता अंश की धनराशि का विवरण :–

(क). वर्ष 20 – 20 लेखा पर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0............................

(ख) माह से माह तक अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0............................

(ग) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड) द्वारा जमा धनराशि रू0 ....

(घ) कुल जमा धनराशि (क + ख + ग) रू0 ....

(च) निष्कासित धनराशि का विवरण :–

(1) अन्तिम निष्कासन (Final Withdrawl) :माह/वर्ष से माह/वर्ष तक रू0 ....

(2) अस्थायी अग्रिम (Temporary Advance) :माह/वर्ष से माह/वर्ष तक रू0 ....

(3) कुल निष्कासन : (1 + 2) रू0 ....

(छ) शुद्व जमा धनराशि :– : (घ – च 3) रू0 ....

7. अंतिम निष्कासन Final Withdrawl) की अपेक्षित धनराशि रू0 ....

8 (क) अंतिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) का प्रयोजन ....

(ख) नियम संख्या जिसके अन्तर्गत प्रार्थना की गयी है ....

9. क्या इसी प्रयोजन के लिये इससे पूर्व भी कोई अंतिम निष्कासन (Final Withdrawl) किया गया था, यदि हाँ तो धनराशि और माह/वर्ष बतायें ....

दिनांक ____________

आवेदक का हस्ताक्षर............................

नाम ....

पदनाम ....

अनुभाग/कार्यालय............................

कार्यालय का नाम व पता

संख्या : / / दिनांक : ....

कार्यालय–ज्ञाप

(अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ४२ एवं ४३ के अन्तर्गत जारी स्वीकृति आदेश)

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... पद .... को उनके अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या UPRVUNL/CPF/ .... में जमा अभिदाता अंश में से .... प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु रूपया .... (शब्दों में) का अन्तिम निष्कासन स्वीकृत किया जाता है ।

2. अन्तिम निष्कासन की धनराशि नियम संख्या 43 में निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं है। मूल नियम (Fundamental Rule) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन रू0 .... प्रतिमाह है ।

3. दिनांक ....की स्थिति के अनुसार उपरोक्त अभिदाता के खाते में जमा अवशेष धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(क) वर्ष ....की लेखा पर्ची के अनुसार अभिदाता द्वारा जमा अवशेष धनराशि रू0...........................

(ख) माह ....से माह तक.................... अभिदान द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0...........................

(ग) माह .... से माह .... तक
अग्रिम की वसूली धनराशि द्वारा जमा धनराशि रू0...........................

(घ) मद (क) (ख) तथा (ग) का योग रू0...........................

(च) उपरोक्त लेखा पर्ची के बाद स्वीकृत अन्तिम निष्कासन एवं अस्थाई अग्रिम की धनराशि यदि कोई हो रू0...........................

(छ) स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को शुद्व जमा धनराशि मद (घ) – (च) रू0...........................
की लेखा पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री ....
को पिछली बार कार्यालय ज्ञाप संख्या .... दिनांक .... से रू0...........................
का अन्तिम निष्कासन/अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी

संख्या : / /तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, (सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट) कमरा नं0 928, 9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप से सम्बन्धित धनराशि रू0 ....सम्बन्धित इकाई.. को निर्गत कराने का कष्ट करें ।

2– श्री .... को उनका ध्यान समय–समय पर जारी आदेशों की ओर आकृष्ट कराते हुए जिनके अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है, जिसके लिये यह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्रदान करने के 06 महीने के भीतर इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था ।

3– अधिष्ठान

4– व्यक्तिगत पत्रावली ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी

CPF Proforma – 5

Name of Unit :
Name of Project Account Officer/HQ :
Name of Corporation :
Letter No : / /

Unit Code : ....
Bank Code : ....
Date : ....

SUBJECT : STATEMENT OF FUND REQUISITION OF CPF

SUB : DEMAND OF CPF FOR THE MONTH OF ______________________

Sl.No.	Name of SUBSCRIBER	DESIGN	CPF A/C NO.	SANCTION LETTER NO.	DATE	BILL NO. & DATE	CPF ADVANCE	CPF FINAL WITHDRAWAL	CPF FINAL PAYMENT	TOTAL
	GRAND TOTAL									

FIGURE IN WORDS :- (...)

Acctt.

Sig of DDO